सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 23वीं बैठक दिनाँक 10 अक्टूबर, 2013 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 23वीं बैठक दिनाँक 10 अक्टूबर, 2013 को अपरान्ह् 1:00 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थीः–

1.	डा0 हरि शंकर गौड़, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री प्रभुदयाल वाल्मीकि, मा0 विधायक	सदस्य
3.	श्री रणबीर सिंह, लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
4.	डा0 के0सी0 सिंह, कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
5.	चौ0 मनोज प्रधान, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
6.	श्रीमती भारती शर्मा, सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्य
7.	डा0 एस0के0 कौशिक, संयुक्त निदेशक, आई0सी0ए0आर0 प्रतिनिधि	सदस्य
8.	श्री पारसनाथ सिंह, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	श्री रामचन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव कृषि के प्रतिनिधि)	सदस्य
10.	प्रौ0 जसवन्त सिंह नेगी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)	सदस्य
11.	श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक	सचिव

मा0 कुलपति जी द्वारा माननीय प्रबन्ध परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। डा0 देवी सिंह, निदेशक अनुसंधान केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध ओर प्रसार के सम्बन्ध में की गयी प्रगति को पावर पाईट के माध्यम से प्रस्तुत किया। मा0 कुलपतिजी द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 23.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 22वीं बैठक दिनाँक 15 जून, 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 15 जून, 2013 को सम्पन्न 22वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

(कार्रवाईः–वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 23.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 22वीं बैठक दिनाँक 15 जून, 2013 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा दिनाँक 15 जून, 2013 को सम्पन्न 22वीं बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए प्रस्ताव संख्या–22.2 पर लिये गये निर्णय के क्रम में दिनाँक 1 अप्रैल, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक के व्यय की विशेष जांच कराने हेतु गठित समिति की शीघ्र बैठक आहूत कर तत्काल जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। इस हेतु यदि उ0प्र0 शासन से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यता होती है तो तत्काल प्राप्त की जाये।

(कार्रवाई:–वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 23.3 : वित्त समिति की तृतीय (आकस्मिक) बैठक के निर्णयों का अवलोकन एवं अनुमोदन

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त समिति की निम्न संस्तुतियों का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान की गयी:–

(3.1) माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए धनराशि रू0 8.0 लाख की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए दांतल फार्म के Plots पर आर0सी0सी0 के पोल्स लगाकर फार्म के सभी प्लाटस को असमाजिक तत्वों से सुरक्षित रखने के लिए सीमांकन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाई:–नोडल अधिकारी, निर्माण/प्रभारी अधिकारी, दांतल)

(3.2) प्रशासनिक भवन के ब्लॉक–ए व ब्लॉक–बी में स्थित गुम्बद के सौंदर्यीकरण सहित प्रथम तल पर स्थित कुलपति कार्यालय एवं वित्त नियंत्रक कार्यालय कक्षों/सभाकक्षों तक सीधी पहुँच बनाने के लिए भूतल से प्रथम तल तक आने–जाने के लिए लगभग 5 फिट चौड़ाई की दो सीढ़ियाँ निर्मित कराने के साथ–साथ भूतल पर गुम्बद के केन्द्र में श्रद्धेय श्री सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा तथा विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र सम्बन्धित प्रदर्शन आदि स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा के उपरान्त धनराशि रू0 10 लाख का व्यय विश्वविद्यालय के शिक्षण मद से वहन करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाई:–नोडल अधिकारी, निर्माण/वित्त नियंत्रक)

11/10/13

11/10/13

प्रस्ताव संख्या 23.4 : वित्त समिति की चतुर्थ बैठक के निर्णयों का अवलोकन एवं अनुमोदन

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त समिति की निम्न संस्तुतियों का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान की गयी:–

(4.5) व्यापक चर्चा के उपरान्त वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक पर की गयी संस्तुतियों को मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

1. विश्वविद्यालय के आय–व्ययक में कतिपय सुधार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए विश्वविद्यालय आय–व्ययक का वर्गीकरण निम्नलिखित मुख्य लेखा शीर्षों में किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी:–

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण
1	सामान्य	उत्तर प्रदेश शासन से सहायता अनुदान (वेतन), सहायता अनुदान, (गैर वेतन) कृषक तकनीकी प्रशिक्षण, आडिट आदि हेतु प्राप्त समस्त अनुदान। उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त विशेष अनुदान, पूंजीगत अनुदान एवं समस्त छात्रवृत्तियां भी सम्मिलित है।
2	फार्म	विश्वविद्यालय की आन्तरिक स्रोतो से आय जैसे– बीज उत्पादन सम्बन्धित कार्य, विश्वविद्यालय के समस्त फार्म, बीज उत्पादन फार्म (चिरोडी), उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, फसल अनुसंधान केन्द्र, दांतल फार्म, ट्रायल/टेंस्टिंग, आई0पी0एम0 लैब, फूड प्रोसेसिंग, मशरूम ईकाई, समेकित कृषि इकाई, मत्स्य ईकाई,नर्सरी, कृषक छात्रावास, संस्थागत एवं अन्य प्राप्तियां।
3	शिक्षण	विद्यार्थियों से प्राप्त शिक्षण शुल्क छात्रावास सहित समस्त प्रकार के शुल्क, काशन मनी, टेण्डर शुल्क से प्राप्त आय जमा होती है। छात्रावास, चिकित्सालय, सुरक्षा, विद्युत, मजदूरी एवं ठेके पर कार्य, कार्यालय, यात्रा भत्ता, वाहन,स्टेशनरी,टेलीफोन,अनुरक्षण, विज्ञापन, सामग्री आपूर्ति, कम्प्यूटर, किसान मेला,चिकित्सा, परीक्षा, विद्यार्थियों पर व्यय एवं अन्य कार्य शिक्षण मद में प्राप्त आय से कार्य किये जाते है।
4	परियोजना उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश, उपकार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यू0पी0 सी0एस0टी0 सहित उ0प्र0 शासन/उपकमों/परिषद विभागों से प्राप्त होने वाली परियोजनायें आदि। उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त परियोजनायें भी सम्मिलित।
5	विकास निधि ICAR	आई0सी0ए0आर0 से विश्वविद्यालय एवं छात्रों के विकास हेतु प्राप्त धनराशि ।
6	परियोजना ICAR	आई0सी0ए0आर0, भारत सरकार के विभागों/उपकमों, परिषदों से प्राप्त परियोजनायें तथा ट्रायल एवं टेस्टिंग आदि कार्य।
7	परियोजना ICAR 75%&U.P 25%	छात्रों द्वारा ग्रामीणं कृषि अनुभव कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य किये जाते है तथा कई अन्य कार्यकम/परियोजनायें, एकिप आदि।
8	कृषि विज्ञान केन्द्र, (फार्म)	13 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर स्थित फार्मो में बीज उत्पादन एवं परीक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रकार के आय–व्यय।
9	कृषि विज्ञान केन्द्र ICAR	मुख्यालय स्तर पर प्रसार से सम्बन्धित एवं 13 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर प्रसार से सम्बन्धित कार्य हेतु आई0सी0ए0आर0 से वेतन भत्तों, यात्रा भत्ते, आकस्मिक व्यय आदि हेतु प्राप्त धनराशि।
10	संयुक्त प्रवेश परीक्षा	प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली सयुक्त प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित समस्त आय–व्यय।

11/10/13

11/10/13

2. व्यय के मानक मदों को परिभाषित करते हुए स्पष्ट करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ताकि भुगतानों का सही मानक मद में लेखांकन किया जा सके।

3. विश्वविद्यालय फार्म शीर्ष सम्बन्धी मानक मदों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित फार्म सम्बन्धित मानक मदों के अनुरूप इनपुट, मजदूरी, पी0ओ0एल0 तथा अन्य में वर्गीकृत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ताकि विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के फार्मों के आय–व्यय की तुलना करना आसान हो सके तथा एक रूपता भी बनी रहेगी।

4. आई0सी0ए0आर0 से विकास निधि, प्रसार निदेशालय तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि का आय–व्ययक आई0सी0ए0आर0 की मानक मदों के अनुरूप ही तैयार करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ताकि आई0सी0ए0आर0 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना तथा वित्तीय प्रबन्धन सुविधाजनक हो सके।

5. वित्तीय वर्ष 2013–14 से विश्वविद्यालय आय–व्ययक के अनुसार ही अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट तैयार कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्रवाईः–वित्त नियंत्रक)

(4.6) जिलाधिकारी मेरठ द्वारा दिनाँक 10.07.2012 से आगामी 2 वर्ष के लिए रू0 70/– प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह किराया दर का मूल्यांकन किया गया है। उक्त मूल्यांकन के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा तथा ए0टी0एम0 का किराया निम्नवत निर्धारित करने की वित्त समिति की संस्तुति अनुमोदित की गयी :–

क्र0 सं0	**विवरण**	**क्षेत्रफल (वर्ग मी0)**	**किराया दर प्रतिमाह प्रति वर्ग मीटर**	**किराया प्रतिमाह**
1	भारतीय स्टेट बैंक शाखा	63.80	70.00	4466.00
2	भारतीय स्टेट बैंक ए0टी0एम0	9.00	70.00	630.00

जिला कलेक्टर द्वारा किराया दरों में परिवर्तन होने अथवा शाखा/ए0टी0एम0 के क्षेत्रफल में परिवर्तन होने पर मा0 कुलपति जी को किराया निर्धारित करने का अधिकार प्रतिनिहित करने का प्रस्ताव भी वित्त समिति की संस्तुति पर अनुमोदित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिसर में अनुपयोगी भवनों में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं परिसर वासियों हेतु जिलाधिकारी मेरठ द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार न्यूनतम किराया के आधार पर नीलामी/टेण्डर के माध्यम से किराया निर्धारित करते हुए दुकानों में

11/10/13 11/10/13

परिवर्तित करने के प्रस्ताव के प्रस्ताव को वित्त समिति की संस्तुति पर मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्रवाईः–वित्त नियंत्रक)

(4.7) मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में लेखांकन प्रक्रिया की दोहरी लेखा प्रणाली लागू करते हुए केवल एक वर्ष के लिए कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर सम्पादित कराये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि कार्य अनुबन्ध पर धनराशि रू0 40,000/– प्रति माह की अधिकतम सीमा तक व्यय किया जायेगा तथा लेखा अनुभाग के समस्त कार्मिकों को उक्त कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए दोहरी लेखा प्रणाली में दक्ष बनाया जायेगा।

(कार्रवाईः–वित्त नियंत्रक)

(4.8) वित्त समिति की संस्तुति पर मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 पांच वित्तीय वर्षों के विश्वविद्यालय के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि कैशबुक तथा बैंक अवशेष का मिलान कर अन्तर का समाधान करते हुए तत्काल कैशबुक में समाधान की प्रविष्टियाँ की जायें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वित्त समिति के माध्यम से अवगत कराया जाये।

(कार्रवाईः– वित्त नियंत्रक)

(4.9) वित्त (सामान्य) अनुभाग–4 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या संख्या सा–4–393/दस–99–200–88 दिनांक 01 जुलाई, 1999 के द्वारा सरकारी सेवकों के अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा को 240 से बढ़ाकर 300 दिन किया गया गया। सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली 300 दिन के अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा विश्वविद्यालय में भी लागू करने की मांग काफी समय से विश्वविद्यालय कार्मिकों/शिक्षकों द्वारा लगातार की जा रही है तथा उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में भी सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश नकदीकरण का प्राविधान है। उक्त के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति पर सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली 300 दिन के अर्जित अवकाश नकदीकरण को विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि इस प्रस्ताव पर उ0प्र0 शासन के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(कार्रवाईः–कुलसचिव)

11/10/13 11/10/13

(4.10) विश्वविद्यालय के नवीन तथा पुराने परिसर में उद्यान सम्बन्धित कार्यों की देखभाल/पर्यवेक्षण हेतु यात्रा पर होने वाले व्यय की वास्तविक प्रतिपूर्ति धनराशि रू0 1000.00 प्रति माह की सीमा तक सम्बन्धित तृतीय श्रेणी कार्मिक को करने की स्वीकृति वित्त समिति की संस्तुति पर प्रदान की गयी।
(कार्रवाईः विभागाध्यक्ष, उद्यान/निदेशक अनुसंधान केन्द्र/वित्त नियंत्रक)

(4.11) विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 27–05–2013 को आये चक्रवातीय तूफान से हुई क्षति का आकलन कराते हुए क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। संयुक्त सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग के पत्र संख्या 1725/67–कृशिअ–13–500(17)/13 दिनांक 27 अगस्त, 2013 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु विभागीय बजट में कोई प्राविधान नही है साथ ही उक्त क्षति का वहन विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से करने हेतु भी निर्देशित किया है।

माननीय सदस्यों द्वारा उक्त सम्बन्ध में समस्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए उ0प्र0 जल निगम अथवा अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमानित धनराशि रू0 72 लाख के प्रस्ताव के अनुसार चाहर दीवारी के स्ट्रक्चरल डिजाइन को किसी प्रतिष्ठित स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अनुमोदित कराते हुए टेण्डर के माध्यम से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर क्षतिग्रस्त चाहर दीवारी का पुनः निर्माण कराया जाये तथा इस हेतु धनराशि रू0 60 लाख की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए शिक्षण लेखा शीर्ष से व्यय करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही–नोडल अधिकारी, निर्माण/वित्त नियंत्रक)

(4.12) विश्वविद्यालय के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय हित में अपने मोबाइल फोन का प्रयोग नियमित रूप से करने के कारण एक या अधिक मोबाइल सिम उपयोग हेतु प्रतिमाह निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को वित्त समिति की संस्तुति के आधार पर अनुमोदित किया गयाः–

क्र0 सं0	**अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम**	**अधिकतम सीमा प्रतिमाह (धनराशि रू0 में)**
01	कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक (मोबाईल तथा इन्टरनेट प्रयोग हेतु)	1000.00
02	कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक के निजी सहायक/आशुलिपिक	300.00
03	कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक के वाहन चालक	250.00

(कार्रवाईः कुलसचिव/वित्त नियंत्रक)

11/10/13 11/10/13

(4.13) उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 260(2) ईजी/23-513-50(71)ईजी/04 दिनांक 18 मार्च, 2013 द्वारा आवासीय भवनों पर मरम्मत एवं अन्य मदों में भारी वृद्धि होने के कारण उनके किराये में पुनर्निर्धारण करते हुए आवासीय भवनों के प्रचलित मानक किराये की दरों को तीन गुना किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में भी दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से आवासीय भवनों के प्रचलित मानक किराये की दरों को निम्न प्रकार तीन गुना किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी:-

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	आवास की श्रेणी	वर्तमान मानक आवास किराया	पुर्ननिर्धारण उपरान्त मानक आवास किराया दिनांक 01-04-2013 से
01	टाईप-I	70.00	210.00
02	टाईप-II	120.00	360.00
03	टाईप-III	230.00	690.00
04	टाईप-IV	520.00	1560.00
05	टाईप-V	600.00	1800.00

(कार्रवाई: नोडल अधिकारी, निर्माण/वित्त नियंत्रक)

(4.14) विश्वविद्यालय में प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश हेतु उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या जी-2-573/दस-2009-216-79 दिनांक 24 मार्च, 2009 एवं शासनादेश संख्या जी-2-176/दस-2011-216-79 दिनाँक 11 अप्रैल, 2011 सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में लागू किये जाने का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने पर सहमति व्यक्त की गयी। प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश को विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि इस प्रस्ताव पर उ0प्र0 शासन के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(कार्रवाई:-कुलसचिव)

(4.15) उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-2275/5-6-11-1082/87 दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में लागू किये जाने का प्रस्ताव के प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने की संस्तुति की गयी। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/ कर्मचारियों को अभी यह सुविधा उपलब्ध नही हो पायी है तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा विश्वविद्यालय में लागू किये जाने पर प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ का व्यय अनुमानित है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति

11/10/13 11/10/13

सुविधा विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि इस पर उ0प्र0 शासन के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

उक्त के अतिरिक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों/कार्मिकों/विद्यार्थियों आदि को न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस, ओरियेंटल इन्श्योरेंस आदि शासकीय उपक्रमों के माध्यम से मैडीक्लेम पालिसी के द्वारा लाभान्वित किये जाने पर भी विचार किया जाये।

(कार्रवाईः—कुलसचिव)

(4.16) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा कार्मिकों को आकस्मिक/गम्भीर अवस्था में तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा (CATET) खाते में पूर्व वर्षों की बचत से एक एम्बुलेन्स क्रय करने के प्रस्ताव को वित्त समिति की संस्तुति के दृष्टिगत अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाईः प्रभारी अधिकारी पूल)

(4.17) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—562/दस—54(एम)2008टी0सी0 दिनांक 30 अगस्त, 2013 के माध्यम से मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों के प्रस्तर संख्या—9 के अनुसार "स्वशासी संस्थाओं/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं आदि में संविदा के आधार पर नियुक्त कार्मिकों के प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यक परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग के परामर्श के साथ मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त किये जायें।"

शासनादेश सं0—वे0आ0—2—562/ दस—54 (एम)2008टी0 सी0 दिनाँक 30 अगस्त, 2013 के अनुसार पदों का वेतनमान 5200—20200 तथा ग्रेड पे रू0 2400 निर्धारित किया गया है। इस प्रकार रू0 7510+2400=9910+रू0 7928=17838 की देयता बनती है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में धनराशि रू0 10000/— के नियत वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में कार्यरत 9 कम्प्यूटर आपरेटरों पर प्रतिवर्ष धनराशि रू0 8.46 लाख का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।

वित्त (वेतन आयोग) के शासनादेश सं0—वे0आ0—2—562/दस—54(एम) 2008टी0सी0 दिनाँक 30 अगस्त, 2013 के प्रस्तर—9 के अनुसार सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के 09 कम्प्यूटर आपरेटरों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव/वित्त नियंत्रक)

(4.18) कुलपति पद पर नियुक्त होने वाले सेवारत शिक्षकों/वैज्ञानिकों को पैतृक विभाग से सेवानिवृत्त होने की अवधि अथवा कुलपति पद पर तैनात रहने की अवधि, जो भी पहले हो, तक प्रतिनियुक्ति पर मानते

11/10/13 11/10/13

हुए प्रतिनियुक्ति भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, पेंशन तथा अवकाश वेतन अंशदान आदि का भुगतान करने के प्रस्ताव को वित्त समिति की संस्तुति पर अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव/वित्त नियंत्रक)

(4.19) मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अवशेष असमायोजित अग्रिमों के सम्बन्ध में वित्त समिति की कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया गया कि अवशेष असमायोजित अग्रिमों की वेतन से तत्काल कटौती करते हुए शीघ्र समायोजन कराया जाये।

(कार्रवाईः–वित्त नियंत्रक)

(4.20) मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अवशेष आडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु अभियान चलाते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

(4.21)दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों पर प्रमुख सचिव, कुलाधिपति श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने आदेश संख्या–ई–3575/जी0एस0 दिनाँक 03 जून, 2005 के द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी थी। दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित पंजाब नेशनल बैंक तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया में जमा धनराशियाँ को विश्वविद्यालय के संस्थागत मद में जमा कराते हुए मियादी जमा कराने के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति को अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि इस धनराशि का व्यय शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

(4.22) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालयों में सत्र 2014–15 से प्रवेश प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी जिसके लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार पदों के सृजन की आवश्यकता हैः–

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	शिक्षकों के पदों की संख्या	शिक्षणेत्तर पदों की संख्या	कुल संख्या	अनुमानित आय रू0 करोड़ में	अनुमानित व्यय रू0 करोड़ में
1	कालेज आफ टैक्नोलाजी	47+26=73	54+19=73	146	18.77	8.51
2	कालेज आफ पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नालाजी एण्ड फूड प्रोसेसिंग	31+12=43	32+11=43	86	5.70	6.13
3	कालेज आफ होम साईंस	21+5=26	21+5=26	52	1.88	2.96
4	कालेज आफ बेसिक साईंस	34+21=55	34+21=55	110	4.40	6.37
5	कालेज आफ एग्री बिजनेस मैनेजमैंट	31+12=43	31+12=43	86	5.32	5.08
6	कालेज आफ हार्टीकल्चर	20+11=31	24+7=31	62	1.88	3.49
7	कालेज आफ सूचना टैक्नालाजी	36+0=36	36+0=36	72	4.83	4.07
	कुल योग	**307**	**307**	**614**	**42.78**	**36.61**

11/10/13

11/10/13

उक्त समस्त महाविद्यालयों के क्रियाशील होने पर धनराशि रू0 42.78 करोड़ की आय तथा धनराशि 36.61 करोड़ व्यय होने का अनुमान है।

मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में कालेज आफ बेसिक साइंस तथा हाईटेक फ्लोरिकल्चर सेंटर के भवन का लोकार्पण किया जा चुका है। कालेज आफ टैक्नोलाजी का निर्माण भी पूर्ण हो गया है तथा कालेज आफ पोस्ट हार्वेस्ट टैकनोलाजी एण्ड फूड प्रोसेसिंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अतः उपरोक्त कालेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को चलाये जाने के लिए पदों के सृजन हेतु विस्तृत प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः—कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 23.5 : वित्तीय वर्ष 2013—14 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2014—15 का अनुमानित आय—व्ययक।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2013—14 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्ययक का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईःवित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 23.6 : वित्तीय वर्ष 2008—09, 2009—10, 2010—11, 2011—12 तथा 2012—13 पांच वित्तीय वर्षों के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्तय वर्ष 2008—09, 2009—10, 2010—11, 2011—12 तथा 2012—13 पांच वित्तीय वर्षो के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि कैशबुक तथा बैंक अवशेष का मिलान कर अन्तर का समाधान करते हुए तत्काल कैशबुक में समाधान की प्रविष्टियाँ की जायें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वित्त समिति के माध्यम से अवगत कराया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

11/10/13

11/10/13

प्रस्ताव संख्या 23.7 : विश्वविद्यालय में शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों को भरने के सम्बन्ध में।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त समिति की संस्तुतियों का अवलोकन कर पहले से सृजित/अनुमोदित पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः—वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 23.8 : Ministry of Earth Sciences (MoES), Govt. of India द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत संचालित मृदा विज्ञान विभाग में Agromet Advisory Service Scheme of IMD परियोजना हेतु Technical Officer Scale 15600-39100 AGP 5400 की शैक्षिक योग्यता, अर्हता एवं स्कोर कार्ड निर्धारण करते हुए विज्ञापित कर भरे जाने के संबंध में।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः—कुलसचिव)

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

11/10/13

(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

अनुमोदित

11/10/13

(डा0 हरि शंकर गौड़)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद